

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 396]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 सितम्बर 2019—आश्विन 1, शक 1941

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2019

क्र. 84 (9)-वि. निर्वा.-चार-2019-उपचुनाव-211.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 100/MP-LA/2/2019 (Bye) दिनांक 23 सितम्बर 2019 तथा उसका हिन्दी रूपान्तरण सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

व्ही. एल. कान्ता राव, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर, 2019—01 आश्विन, 1941 (शक)

अधिसूचना

100-म.प्र.-वि.स.-2-2019 (उप-निर्वाचन).—यतः, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में 193—झाबुआ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री गुमान सिंह डामोर द्वारा विधानसभा के अपने स्थान से त्याग-पत्र देने के परिणामस्वरूप उनका स्थान दिनांक 04 जून 2019 को रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा:—

(अ) मध्यप्रदेश राज्य में उक्त 193—झाबुआ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 27 अक्टूबर 2019 (रविवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन हेतु, एक व्यक्ति जो उक्त राज्य के अनुसूचित जनजातियों में से किसी का सदस्य हो, निर्वाचित

कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है :—

- | | | |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| (क) | नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख : | 30 सितम्बर, 2019 (सोमवार) |
| (ख) | नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख : | 01 अक्टूबर, 2019 (मंगलवार) |
| (ग) | अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख : | 03 अक्टूबर, 2019 (गुरुवार) |
| (घ) | वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा : | 21 अक्टूबर, 2019 (सोमवार) |
| (ङ) | वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: | 27 अक्टूबर, 2019 (रविवार); और |

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से,

हस्ता./-

(एस. बी. जोशी)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 23rd September 2019—01 Asvina, 1941 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-MP-LA-2-2019 (Bye).—WHEREAS, the seat of Shri Guman Singh Damor in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 193—Jhabua (ST) Asseembly constituency has become vacant on 04th June 2019 by reason of resignation from his seat in Vidhan Sabha; and

2. WHEREAS, a bye-election is to held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby—

(A) Calls upon the said 193—Jhabua (ST) Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 27th October, 2019 (Sunday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the Scheduled Tribes of the State for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election—

- the 30th September, 2019 (Monday), as the last date for making nominations;
- the 01st October, 2019 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;
- the 03rd October, 2019 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- the 21st October, 2019 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- the 27th October, 2019 (Sunday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 5.00 P.M. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

Sd./-

(S. B. JOSHI)

Secretary,

Election Commission of India.